

तारांकित प्रश्न क्रमांक 657

माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार प्रजापति  
सदन में उत्तर देने का दिनांक-11.08.2021परिशिष्ट

क्र.	अधिकारी का नाम	विषय	रिमांक
1	श्री अखिलेश कुमार निगम उप आयुक्त सहकारिता	जिला छतरपुर प्राथमिक सेवा सह.समिति मर्यादनगुर्वी के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को अवैधानिक रूप से संस्था में नियुक्त/कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश जारी करना तथा पुन संस्थाओं को नियम के विपरीत कर्मचारियों को यथावत रखने के निर्देश देना।	आदेश दिनांक 04.03.2020 के द्वारा परिनिन्दा।
2	श्री अखिलेश कुमार निगम उप आयुक्त सहकारिता	जिला छतरपुर के प्राथमिक उपभोक्ता सह.मण्डल के पंजीयन में अनियमितता करने बाबत।	म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-14 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	श्री अखिलेश कुमार निगम उप आयुक्त सहकारिता	जिला दमोह सेवा सहकारी समिति पथरिया, बनवार के संचालक मण्डल के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करना।	पत्र क्र. एफ 1-15/2013/ 15-2 दिनांक 02.11.2013 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी।
4	श्री अखिलेश कुमार निगम उप आयुक्त सहकारिता	आई.सी.डी.पी. जिला छतरपुर में स्टाफ चयन समिति की बैठक आयोजित न कर अयोग्य व्यक्ति को नियुक्ति करना तथा अन्य अनियमितताएं की जाना।	पत्र क्र. एफ 686/1039/ 2017/ 15-2. दिनांक 01.06.2020 से नियम 14 का कारण बताओ सूचना पत्र जारी।
5	श्री अखिलेश कुमार निगम उप आयुक्त सहकारिता	जिला दमोह में पदस्थी के दौरान विपणन सहकारी संस्था मर्यादित हटा जिला दमोह को नियम अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पुनर्जिवित करना।	आदेश दिनांक 14.12.2017 द्वारा परिनिन्दा।
6	श्री अखिलेश कुमार निगम उप आयुक्त सहकारिता	जिला पन्ना के अंकेक्षण कार्य में लापरवाही बरती जाना।	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
7	श्री पी.आर.कावडकर, उप आयुक्त सहकारिता	जिला सागर जॉच प्र.क्र. 354/16 शिकायत की जॉच में भ्रामक जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तुत करना।	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
8	श्री पी.आर.कावडकर, उप आयुक्त सहकारिता	विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1302 का त्रुटिपूर्ण उत्तर प्रस्तुत करने के फलस्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई।	प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

*mch*  
अनुभाग अधिकारी  
मध्य प्रदेश शासन,  
सहकारिता विभाग